



-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ जमीन का जबरन/फर्जी तरीके से बैनामा कराने तथा व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले वांछित अभियुक्त को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार ।

विवरण- - पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 28.09.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा जमीन का जबरन बैनामा/फर्जी तरीके से बैनामा कराने तथा व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है । गौरतलब हो थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के खाईपार की रहने वाली आशमा ने थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी थी कि उनके पति निसार अहमद के नाम पर जमीन थी जिसे कुछ लोगों द्वारा जबरन/फर्जी तरीके से पैसे का बिना-लेन किए दबाव बनाकर अपने नाम कर लिया है तथा उनके साथ गाली गलौज कर धमकी भी देते थे जिसके चलते उसके पति निसार अहमद ने दिनांक 06/07.04.2025 की रात्रि में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया था तथा एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ था । सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए । घटनाक्रम का गहनता से अवलोकन किया गया करते हुए साक्ष्यों का संकलन किया गया तथा सुसाइड नोट को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था । संकलित साक्ष्यों एवं प्राप्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्त फारूख अली पुत्र अहमद अली निवासी खूंटी चौराहा अलीगंज की संलिप्तता पाई गई । जिसे थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर आज दिनांक 28.09.2026 को मा0 न्यायालय भेजा गया । साथ ही, प्रकरण में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के संबंध में भी गहनता से साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं । विवेचना के दौरान प्रकाश में आने वाले तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर घटना में शामिल प्रत्येक अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार कठोर एवं प्रभावी विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त फारूख अली पुत्र अहमद अली निवासी खूंटी चौराहा अलीगंज जनपद बांदा ।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 664/25 धारा 108/318(4)/351(3) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा ।

गिरफ्तारी करने वाली की टीम-

1. श्री रोशनलाल सरोज चौकी प्रभारी खाईपार
2. हे0कां0 राजीव कुमार